आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०–42 / 2022

सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत

श्रीमती कृष्णी देवी––विक्रेता

प्रति

श्रीमती दुर्गा देवी वगैरह ––क्रेता

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका / विक्रेता श्रीमती कृष्णी देवी, पति–श्री रामजी राम, ग्राम–हंसकेर, पोस्ट–सोह, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता 1. श्रीमती दुर्गा देवी, पति–श्री संतोष राम, ग्राम–विश्रामपुर, पोस्ट–विश्रामपुर, थाना–रंका, जिला–गढ़वा, 2. श्रीमती मंजू कुमारी, पति–श्री संतोष राम, 3. श्रीमती सरिता देवी, पति–श्री रबिन्द्र राम, दोनों निवासी ग्राम–हुरदाग, पोस्ट–सेवाडीह, थाना–रंका, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, रंका से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, रंका के पत्रांक 407 / दिनांक 27.09.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। तथा विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेता के स्वयं के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के चमार (अनूसुचित जाति) एवं क्रेतागण जाति के चमार (अनूसुचित जाति) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदिका / विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल–क़ब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, रंका के जाँच प्रतिवेदन / अनुशंसा के आलोक में आवेदिका / विक्रेता श्रीमती कृष्णी देवी, पति–श्री रामजी राम, ग्राम–हंसकेर, पोस्ट–सोह, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा ने क्रेता 1. श्रीमती दुर्गा देवी, पति–श्री संतोष राम, ग्राम–विश्रामपुर, पोस्ट–विश्रामपुर, थाना–रंका, जिला–गढ़वा, 2. श्रीमती मंजू कुमारी, पति–श्री संतोष राम, 3. श्रीमती सरिता देवी, पति–श्री रबिन्द्र राम, दोनों निवासी ग्राम–हुरदाग, पोस्ट–सेवाडीह, थाना–रंका, जिला–गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तानन्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

–:क्रेता सं०–01 (दुर्गा देवी) का भूमि का विवरणः–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
विश्रामपुर	134	पुराना–14 नया–95	पुराना–188 नया–1400	0.16	उ०–सरिता देवी, द०–मंजू देवी, पू०–प्लॉट नं०–1399, प०–प्लॉट नं०–1399,
कुल रकबाः–				0.16	

–:क्रेता सं०–02 (मंजू देवी) का भूमि का विवरणः–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
विश्रामपुर	134	पुराना–14 नया–95	पुराना–188 नया–1400	0.16	उ०–दुर्गा देवी, द०–प्लॉट नं०–1399 नीज क्रेता, पू०–प्लॉट नं०–1399, प०–प्लॉट नं०–1399,
कुल रकबाः–				0.16	

Scanned with CamScanner

–:क्रेता सं०–03 (सरीता देवी) का भूमि का विवरण:–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
विश्रामपुर	134	पुराना–14 नया–95	पुराना–188 नया–1400	0.16	उ०–बिन्दा देवी, द०–दुर्गा देवी, पू०–प्लॉट नं०–1399, प०–प्लॉट नं०–1399,
			कुल रकबा:–	0.16	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

12/01/23

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा

12/01/23

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2023.02.01 12:57:21 +05:30
Location: 192.168.245.160

Scanned with CamScanner